न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(अरुण कुमार हसीजा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
प्रार्थना पत्र 14(4) : 08/2013
दायर दिनांकः 04.09.2013
निर्णय दिनांक 23.01.2026

:: अनवान ::

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) नाथद्वारा

– प्रार्थी

बनाम

1. श्री लोगर पिता चनणा बलाई, निवासी उपली ओडन तह नाथद्वारा (मृतक)
विधिक वारीसान

1/1. श्री उदय लाल पिता लोगर लाल मेघवाल निवासी खल्यिानों की मंगरी ग्राम उपली ओडन तहसील नाथद्वारा

1/2. श्री दिनेश कुमार पिता लोगर लाल मेघवाल निवासी खल्यिानों की मंगरी ग्राम उपली ओडन तहसील नाथद्वारा

1/3. श्रीमती जमनी बाई पत्नि लोगर लाल मेघवाल निवासी खल्यिानों की मंगरी ग्राम उपली ओडन तहसील नाथद्वारा (मृतक)

1/4. श्रीमती नारायणी पति चुन्नी लाल पिता लोगर लाल मेघवाल निवासी वार्ड नं0 23 विद्यालय के पीछे की बस्ती नाथद्वारा

1/5. श्रीमती टमु पति किशन लाल पिता लोगर लाल निवासी मोकेला ग्राम सतलेवा ग्राम पंचायत शिशोदा तहसील नाथद्वारा

2. सोहन पिता चनणा बलाई, निवासी उपली ओडन तह. नाथद्वारा (मृतक)
विधिक वारीसान

2/1. श्रीमती पुष्पा देवी पति शंकर लाल मेघवाल पिता सोहन मेघवाल निवासी कारोलिया तहसील रेलमगरा

2/2. श्रीमती केसर पति शंकर लाल मेघवाल पिता सोहन लाल मेघवाल निवासी भावली ग्राम पंचायत साकरोदा तहसील भावली जिला उदयपुर

2/3. श्रीमती देवली बाई (दुला) पति किशन लाल मेघवाल पुत्री सोहन मेघवाल निवासी ग्राम आकोदड़ा, ग्राम पंचायत पाखण्ड तहसील नाथद्वारा

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

उपस्थितः–

1– श्री अनिल बागोरा राजकीय अधिवक्ता, प्रार्थी, उपस्थित

2– श्री ललित साहु, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 के वारिसान संख्या 1/1, 1/2, 1/4, 1/5 तथा विपक्षी संख्या 2 के वारिसान संख्या 2/3. की ओर से उपस्थित।

3– अप्रार्थी संख्या 2/1 तथा 2/2 अनुपस्थित। (एकपक्षीय कार्यवाही)

:: निर्णय ::

प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आंवटन) नियमन 1970 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण के नाम राजस्व ग्राम उपली ओडन की आ0नं0 2526/2481 रकबा 5–00 बीघा किस्म बंजड गैर खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड हैं। उक्त भूमि उपखण्ड अधिकारी उदयपुर के आदेश दिनांक 13.10.77 से खातेदार श्री चणना पिता हरा बलाई के नाम आवंटन हुई थी। खातेदार की मृत्यु के पश्चात वारीसान अप्रार्थीगण के नाम सयुक्त रूप से गैर खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड चली आ रही है। उक्त आराजी पर मौके की जांच पडताल एवं राजस्व रेकार्ड अनुसार आवंटित भूमि में से 1–00 बीघा भूमि में अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन दिनांक से आज दिनाक तक कभी भी फसल काश्त नहीं की है। उक्त आराजी में 1–00 बीघा भूमि पर किसी प्रकार का कृषि कार्य नहीं हो रहा है भूनि वक्त आवंटन जैसी थी वैसी ही बजह है। अप्रार्थीगणो के पिता आवंटि श्री चणना ने अपने जीवन काल में तथा आबटि के उत्तराधिकारी श्री लोगर एवं श्री सोहन द्वारा दिनांक 04.10.1999 से पूर्व में प्रभावशील प्रावधान यथा–नियम 14 (3) "आवंटित्ती की आवंटन के प्रथम वर्ष में भूमि के कम से कम 50 प्रतिशत भाग को शेष क्षेत्र को दुसरे वर्ष के काश्त के अधिन करना होगा" को भंग किया है अर्थात आवंटन तिथी 13.10.1977 आज तक आवंटित क्षेत्रफल 5–00 बीघा में से संलग्न नक्शे में बिन्हित 1–00 बीघा भूमि का काबिल कास्त नहीं बनाया है तथा मौके पर बंजड होने से 1–00 बीघा भूमि का आवंटन निरस्त कराना आवश्यक है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण के नाम राजस्व ग्राम उपली ओडन की आ0नं0 2526/2481 रकबा 5–00 बीघा किरम बंजड गैर खातेदारी में से 1–00 बीघा भूमि को सिवाय चक बिलानामं दर्ज करने का आदेश फरमाया जायें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की मृत्यु हो जाने से अप्रार्थीगण के वारिसान 1/1, 1/2, 1/4, 1/5 तथा अप्रार्थी संख्या 2 के वारिसान संख्या 2/3 की ओर से अधिवक्ता श्री ललित साहु द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया तथा अप्रार्थी संख्या 2/1 तथा 2/2 के लगातार पेशी पर अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की आज्ञा पारित की गयी है।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिंनाक 13/10/1977 को कुल 5 बिघा भूमि का विपक्षी लोगर व सोहन पिता चनणा बलाई को इस शर्त पर आवंटन हुआ कि, विपक्षी आवंटन वर्ष मे कम से कम 50 प्रतिशत आवंटीत भुभाग पर नियमित खेती करेगा, जिस पर विपक्षी लोगर व सोहन ने आवंटीत वर्ष मे नियमित खेती की और विपक्षी लोगर व सोहन की मृत्यु हो चुकी है उसके बाद विपक्षी लोगर व सोहन के वारीसान आवंटीत भु भाग पर निरन्तर खेती करते चले आ रहे है। परन्तु विगत कुछ समय से पर्याप्त वर्षा नहीं होने से व विपक्षी लोगर व सोहन के वारिसान की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने से आवंटित भूमि के कुछ भुभाग पर खेती नहीं की जा रही है।

दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण के नाम राजस्व ग्राम उपली ओडन की आ0नं0 2526/2481 रकबा 5–00 बीघा किस्म बंजड गैर खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड हैं। उक्त भूमि उपखण्ड अधिकारी उदयपुर के आदेश दिनांक 13.10.77 से खातेदार श्री चणना पिता हरा बलाई के नाम आवंटन हुई थी। खातेदार की मृत्यु के पश्चात वारीसान अप्रार्थीगण के नाम सयुक्त रूप से गैर खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड चली आ रही है। उक्त आराजी पर मौके की जांच पडताल एवं राजस्व रेकार्ड अनुसार आवंटित भूमि में से 1–00 बीघा भूमि में अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन दिनांक से आज दिनाक तक कभी भी फसल काश्त नहीं की है। उक्त आराजी में 1–00 बीघा भूमि पर किसी प्रकार का कृषि कार्य नहीं हो रहा है भूनि वक्त आवंटन जैसी थी वैसी ही बजह है। अप्रार्थीगणो के पिता आवंटि श्री चणना ने अपने जीवन काल में तथा आबटि के उत्तराधिकारी श्री लोगर एवं श्री सोहन द्वारा दिनांक 04.10.1999 से पूर्व में प्रभावशील प्रावधान यथा–नियम 14 (3) "आवंटित्ती की आवंटन के प्रथम वर्ष में भूमि के कम से कम 50 प्रतिशत भाग को शेष क्षेत्र को दुसरे वर्ष के काश्त के अधिन करना होगा" को भंग किया है अर्थात आवंटन तिथी 13.10.1977 आज तक आवंटित क्षेत्रफल 5–00 बीघा में से संलग्न नक्शे में चिन्हित 1–00 बीघा भूमि का काबिल कास्त नहीं बनाया है तथा मौके पर बंजड होने से 1–00 बीघा भूमि का आवंटन निरस्त कराना आवश्यक है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण के नाम राजस्व ग्राम उपली ओडन की आ0नं0 2526/2481 रकबा 5–00 बीघा किरम बंजड गैर खातेदारी में से 1–00 बीघा भूमि को सिवाय चक बिलानाम दर्ज करने का आदेश फरमाया जायें।

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने जवाब में वर्णित तथ्यों दोहराते हुए कथन किया कि दिनाक 13.10.1977 को कुल 5 बिघा भूमि का विपक्षी लोगर व सोहन पिता चनणा बलाई को इस शर्त पर आवंटन हुआ की, विपक्षी आवंटन वर्ष मे कम से कम 50 प्रतिशत आवंटीत भू भाग पर नियमित खेती करेगा, जिस पर विपक्षी लोगर व सोहन ने आवंटीत वर्ष मे नियमित खेती की और उसके बाद विपक्षी लोगर व सोहन के वारीसान आवंटीत भु भाग पर निरन्तर खेती करते चले आ रहे है। परन्तु विगत कुछ समय से पर्याप्त वर्षा नहीं होने से व विपक्षी लोगर व सोहन के वारिसान की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने से आवंटित भूमि के कुछ भू भाग पर खेती नहीं की जा रही है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज फ़रमाया जावे।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस को सुनकर गहन मनन किया व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। यहां पर यह प्रकरण दिनांक 13.10.1977 को एक अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति श्री चनणा पिता हरा बलाई के नाम कृषि भूमि का आवंटन किया गया था जिसके विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा पेश किया गया है। इसमें तहसीलदार द्वारा यह अंकित किया गया है कि खातेदार को 05 बीघा भूमि आवंटन की गयी थी जबकि उसने 4 बीघा भूमि पर ही खेती की है तथा शेष 1 बीघा पर उसने कृषि कार्य नहीं किया है। तो 5 बीघा में से 1 बीघा का खातेदारी अधिकार को निरस्त कर दिया जाना चाहिए। इस आशय से यह अपील प्रस्तुत की गयी है। यहां पर तहसीलदार ने कहीं पर भी यह नहीं माना है कि आवंटन प्रक्रिया में किसी प्रकार कि अनियमितता रही हो या गलत हुआ हो। इस प्रकार का कोई अंकन नहीं किया गया। इसमें अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बहस में यह अंकित/कथन किया गया है कि आवन्टी अनुसूचित जनजाति का खातेदार है तथा उसकी 1 बीघा भूमि पर भू माफिया द्वारा कब्जा कर लिया गया है तथा उसका वह दुरूपयोग करना चाहते है। अतः आवन्टी के खातेदारी अधिकारो को निरस्त कराने के लिए उनके द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करवाया गया है।

हमने यहां पर यह देखा कि वर्ष 1977 को आवंटन हो जाना तथा वर्ष 2013 अर्थात् 36 वर्ष तक प्रत्येक वर्ष तहसीलदार द्वारा गिरदारवरी की जाती है। तथा 36 वर्ष तक किसी भी तहसीलदार ने यह अवलोकन नहीं किया कि 5 बीघा में से 4 बीघा में ही खेती की जा रही है। और 1 बीघा भूमि का आवंटन निरस्त कराना चाहिए। 36 वर्ष पश्चात आश्चर्यजनक रूप से इस प्रकार का जो प्रकरण प्रस्तुत हुआ है सामान्यतः 14(4) के प्रकरण सम्पूर्ण भूमि के आवंटन के निरस्तीकरण के लिए प्रस्तुत किये जाते रहे है परन्तु इस प्रकरण में 5 बीघा भूमि में से 1 बीघा भूमि का ही आवंटन निरस्तीकरण की मांग की गई है और अधिवक्ता अप्रार्थी के इस कथन पर विश्वास नहीं किये जाने का कोई कारण नहीं है। जो खातेदार 4 बीघा भूमि को काश्त योग्य बना सकते है तो उनके द्वारा 5 वे बीघा को काश्त योग्य नहीं बनाया तो उसके अवश्य कोई कारण रह होगे। जो उन्होंने स्पष्ट किया कि इस पर किसी का कब्जा है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किय जाने से पूर्व तहसीलदार का भी यहा कर्तव्य था कि वह भूमि के मौके व कब्जे की जांच करते और यदि इस भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा पाया जाता है तो यह अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि है। उस पर यदि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कब्जा किया गया है तो 183 (बी) में यह प्रकरण दर्ज किया जाना चाहिए था तथा कब्जे को छुड़ाकर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को कब्जा दिलाया जाना चाहिए। अतः इस प्रक्रिया को नहीं करते हुए सीधे ही 1 बीघा भूमि के आवंटन निरस्तीकरण के प्रस्ताव प्रस्तुत किए है।

अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में तहसीलदार द्वारा भूमि के मौके व कब्जे की जांच नहीं कर सीधे ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जो सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार नाथद्वारा को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि मौके पर वादग्रस्त भूमि के कब्जे का निरीक्षण करे और यदि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि पर अन्य किसी व्यक्ति का कब्जा पाया जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही करते हुए कब्जा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को दिलवाया जाए और यदि तथ्य भिन्न पाये जाते है तो तदनुसार कार्यवाही की जानी चाहिए और जांच में खातेदारों का दोष पुनः पाया जाता है तो तहसीलदार पुनः प्रार्थना पत्र 14(4) पेश करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। परन्तु प्रार्थना पत्र लगाये जाने से पूर्व अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के खातेदारी अधिकारो की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। ऐसी तहसीलदार से अपेक्षा की जाती है।

निर्णय की प्रति तहसीलदार नाथद्वारा व मूल आवंटन पत्रावली मय निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा को भिजवायी जावें।

(अरुण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 23.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरुण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)